संख्या-266/2025/I/1054590/2025/12-11002(002)/24/2021

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,
गोमती नगर, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 11-08-2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के लिए वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक/सदस्य (वित्त), उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक-466/लेखा/बजट/2025-26/उपशा/लखनऊ, दिनांक 17-07-2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिए गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय। कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित की जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपॉजिट खाते में न रखी जाय।

(2) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग के आदेशों/वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

(4) आहरण/व्यय की सूचना उ0प्र0 शासन तथा महालेखाकार (राजकोष/लेखा) उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित की जायेगी तथा लेखों का मिलान महालेखाकार के खाते से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 में निहित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 5,00,00,000 (रूपये पॉच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 3054038000301 राज्य मार्गो का अनुरक्षण मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- सदस्य, वित्त उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मण्डी भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4
9- लोक निर्माण अनुभाग-10
10- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।